जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.04.2025

साइबर क्राइम थाना संतकबीरनगर द्वारा 17 पीड़ित व्यक्तियो के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से हड़पे गये 1070032/- रुपया को त्वरित कार्यवाही करते हुए कराया गया वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम व साइबर अपराधों में त्वरित कार्यवाही हेतु साइबर क्राइम थाना जनपद संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 17 व्यक्तियों के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाले गये 1070032/- रुपया वापस कराया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

आवेदक/पीड़ित समसुज्जमा निवासी निमावा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 320,000/- रूपया, सीमा तिवारी निवासी कटनी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 4,56000 रू0, मनीष कुमार सिंह निवासी निवासी भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा 25000 रू0, महेन्द्र कुमार निवासी तुर्कवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 53998 रू0, महिला आरक्षी दिव्या सिंह महिला थाना जनपद संतकबीरनगर द्वारा 32000रू0, अभिमन्यु निवासी डड़वा भुजैनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 10000 रू0, अब्दुल वाहिद निवासी गौवापार पौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा 17176 रू0, मनोज कुमार निवासी भटौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 1600 रू0, अंकित गुप्ता निवासी मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 62208.22 रू0, मनीराम निवासी निमांवा कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 18000 रू0, हृदयराम चौरसिया निवासी लकाड़ी कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 7800 रू0, रिंका प्रजापति उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 10000 रू0, पुष्पा मौर्या निवासी आराजी चौरी जनपद गोरखपुर द्वारा 34500 रू0, राज कुमार निवासी बंधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा 5350 रू0, प्रवीन कुमार त्रिपाठी द्वारा 12000 रू0, हसन रजा अन्सारी द्वारा 2400 रू0, मोहम्मद अल्तमस खान द्वारा 2000 रू0 साइबर फ्राड के माध्यम से कुल 1070032/- रू0 अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकालने के संबंध में विभिन्न तिथियो में शिकायत किया गया था । जिस पर साइबर क्राइम थाना संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एवं बैंक अधिकारी/ पेमेन्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से वार्ता कर पीड़ितों के रूपये वापस करने का प्रयास किया गया, जिसमें टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए उपरोक्त आवेदक/पीड़ित समसुज्जमा द्वारा 320000 रू0, सीमा तिवारी द्वारा 4,56000 रू0, मनीष कुमार सिंह द्वारा 25000 रू0, महेन्द्र कुमार द्वारा 53998 रू0, महिला आरक्षी दिव्या सिंह द्वारा 32000 रू0, अभिमन्यु द्वारा 10000 रू0, अब्दुल वाहिद द्वारा 17176 रू0, मनोज कुमार द्वारा 1600 रू0, अंकित गुप्ता द्वारा 62208.22 रू0, मनीराम द्वारा 18000 रू0, हृदयराम चौरसिया द्वारा 7800 रू0, रिंका प्रजापति द्वारा 10000/- रूपया, पुष्पा मौर्या निवासी द्वारा 34500 रू0, राज कुमार द्वारा 5350 रू0, प्रवीन कुमार त्रिपाठी द्वारा 12000 रू0, हसन रजा अन्सारी द्वारा 2400 रू0, मोहम्मद अल्तमस खान द्वारा 2000 रू0साइबर फ्राड हुए कुल 1103032/- रुपये विभिन्न तिथियो में वापस कराये गये। अपने रूपये वापस पाकर पीडित लोगों द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए साइबर क्राइम थाना संतकबीरनगर पुलिस की प्रशंसा की गई तथा साइबर क्राइम थाना के टीम का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

साइबर फ्रॉड के माध्यम से हड़पे गये रुपये बरामद कराने वाली पुलिस टीम-

साइबर क्राइम थाना- प्र0नि0 श्री आलोक सोनी, उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव,उ0नि0 श्री जय प्रकाश यादव, हे0का0 हिंदे आजाद, का0 राम प्रवेश मद्धेशिया, का0 राजकुमार यादव, का0 धीरेन्द्र कुमार, का0 सौरभ यादव, का0 सतेन्द्र चौहान, म0आ0 अमृता सिंह, म0आ0 हिना गोंड।

आज दिनाँक 22.04.2025 को 121 गायब मोबाइल (अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख) बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किए जाने तथा 17 पीड़ित व्यक्तियो के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से हड़पे गये 1070032/- रुपये को वापस कराने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गई बाइट।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना बखिरा* पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मिठाई लाल पुत्र मंगरु निवासी सूपा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, आरक्षी ओमवीर यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5262 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत गायघाट से कालर द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति (भोलई पुत्र भगेलू निवासी ग्राम गायघाट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अंजेश चौहान, हो0चा0 प्रमोद कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 184 वाहनों से 1,97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 184 वाहनों से 1,97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0स0 103/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विकाश पुत्र मोहन निषाद निवासी कानापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 20.04.2025 को थाना बेलहरकला पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 राजीव यादव, का0 संतोष चौहान, का0 गोपाल ठाकुर।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *__श्री सत्यजीत गुप्ता__* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *__श्री सुशील कुमार सिंह__* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2025 धारा 103/238(क) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता सुग्रीव कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 22.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 19.04.2025 को थाना धनघटा पर वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा मारा पीटा गया था, जिसका इलाज के दौराना मृत्यु हो जाने के संबंध में प्रार्थाना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0-* प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 संतोष यादव।**